

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1197 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 10/09/2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/15503/2015.

संदर्भ:- आपकी ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 23.02.2021।

महोदय,

आपकी ऑन लाईन प्राप्त आपत्ति का प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 1389/12-1 दिनांक 07.09.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)  
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

## प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 1389 / 12-12 अल्मोड़ा दिनांक 7-9-2021

सेवा में,

वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

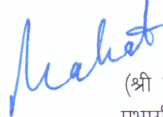
विषय — जनपद अल्मोड़ा में खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 हैठ वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/15503/2015)  
सन्दर्भ— आपका पत्रांक 1360/7सी0 दिनांक 23.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव में लगायी आनलाईन आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है—

| क्र0सं0 | आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रत्युत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 1-In reply to para 01, no comments are made by the State Government as the proposal has already been closed on 25-09-2017                                                                                                                                    | बिन्दु सं0 1 के अनुपालन में मार्गदर्शी पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव को पुर्नजीवित करने की कृपा करें।                                                                                                                                    |
| 02      | 2-In reply to point No. 01, CA site suitability certificate, aerial distance certificate part-iv, part-v, SOI toposheet and digital map of CA area still not submitted in original. Land schedule and Muck Disposal Plan are not countersigned by DFO.       | उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु 0.983 हैठ वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना लागू नहीं है। मार्ग में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है, आरक्षित भूमि के लैण्ड शेड्यूल का प्रपत्र अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 51 में अपलोड कर लिया गया है। मलवा निस्तारण प्रभागीय स्तर से हस्ताक्षरित है। |
| 03      | 3-In reply to point No. 02, justification submitted by State Government is not satisfactory as the villages are seems to be already connected and the proposal seems for another connectivity. State Government may submit the clarification in this regard. | उक्त मार्ग से ठाठ ग्राम संयोजित किया जाना है जो मुख्य मार्ग से 1000 मीटर दूरी पर स्थित है। जिस हेतु मार्ग की नितान्त आवश्यक है।                                                                                                                                                                                   |
| 04      | 4-प्रस्तावित मार्ग की KML File गलत प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति प्रस्तावित मार्ग की सही KML File पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।                                                        | मार्ग की KML सही कर पार्ट I के सेक्शन KML file पर अपलोड कर लिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                           |

संलग्न—उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

  
(श्री महातिम यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।



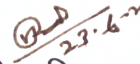
परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट  
काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग  
लम्बाई 4.00 कि०मी०

प्रस्ताव पुनर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाईन आपत्तियों में दिनांक 24.05.2016, 20.07.2016, 23.05.2019 एवं 14.08.2019 को प्राप्त हुये। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय द्वारा क्रमशः दिनांक 16.06.2016, 01.03.2019, 12.07.2019, 31.08.2019 को अपलोड कर लिया गया था। पुनः दिनांक 07.11.2019 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन आपत्तियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसका निराकरण वर्तमान में किया जा रहा है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चाही गयी वांछित सूचनाओं को समय समय से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया जाता रहा है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पुनर्जीवित किये जाने हेतु पुनः प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

  
सहायक अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।

  
अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

  
सहायक अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।

  
अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट  
काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग  
लम्बाई 4.00 कि०मी०

प्रस्ताव पुनर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु चाही गयी  
वांछित सूचनायें ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर ली गयी हैं।

  
सहायक अभियन्ता,  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।

  
अधिशायी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूंट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से  
ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०

लैण्ड शेड्यूल(आरक्षित वन भूमि)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण कार्य में आरक्षित भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

छाया प्रति स्थापित

सहायक अभियन्ता  
राज्यीय वाद प्रो. नि. वि.  
अल्मोड़ा

Mahar  
प्रभ. प्रमुखीय वाद प्रो. नि. वि.  
अल्मोड़ा प्रमुखीय वाद प्रो. नि. वि.  
अल्मोड़ा।